कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल क्रमांक / एफ—5 / 1076 / 2021 / 10—11 / 2085 भोपाल, दिनांक 14 06 / 2022

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति.

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड़ नं. 3, ई—5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:— अलीराजपुर जिले में ADB-6 योजना के अन्तर्गत भाभरा—कट्ठीवाडा—खेड़ा मार्ग के निर्माण हेतु 18.501 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 18.33 हेक्टेयर) मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक / 6-MPC 065/2021-BHO दिनांक 28.05.2022

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपने विषयांकित प्रकरण की प्रथम चरण सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार ह :--

शर्ते–А

- 1— शर्त क्रमांक A(1) के पालन में आवेदक संस्थान ने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की कुल लागत राशि रू० 1,01,90,950 / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 06.06.2022 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 2— शर्त क्रमांक A(2) के पालन में गैर वनभूमि वन विभाग को हस्तांतरित/ नामान्तरित कर दी गई है। कलेक्टर अलीराजपुर का आदेश, फार्म पी—2 आदि की छायाप्रति संलग्न है।
- 3— शर्त क्रमांक A(3) के पालन में प्रकरण में प्राप्त गैर वन भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के तहत संरक्षित वन बनाये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। अधिसूचना जारी होने पर पृथक से आपको प्रेषित की जावेगी।
- 4— शर्त क्रमांक A(4) एवं (5) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा नेट प्रजेन्ट वैल्यू की राशि रू0 2,27,30,144 / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 06.06.2022 को ऑनलाईन जमा की जा चूकी है।
- 5— शर्त क्रमांक A(6) के पालन में प्रकरण में प्राप्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना एवं नेट प्रजेंट वैल्यू की राशि एड—हॉक कैम्पा के अन्तर्गत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में ऑनलाईन दिनांक 06.06.2022 को ऑनलाईन जमा की जा चुकी है।
- 6— शर्त क्रमांक A(7) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा वनाधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर, अलीराजपुर का प्रमाण पत्र दिनांक 03.03.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

- 7— शर्त क्रमांक A(8) के पालन में ई—ग्रीन वॉच पोर्टल पर व्यपवर्तित वनक्षेत्र एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की KML file अपलोड कर दी गई है, जिसका ID No. 48823 है।
- 8— शर्त क्रमांक A(10) के पालन में लेख है कि मार्ग के दोनों ओर वनक्षेत्र में पूर्व से ही वृक्ष विद्यमान है। अतः वृक्षारोपण हेतु स्थल उपलब्ध न होने के कारण वृक्षारोपण किया जाना संभव नहीं है।
- 9— शर्त क्रमांक A(11) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 10— शर्त क्रमांक A(12) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया है।

शर्ते–B

- 1- शर्त क्रमांक B(1) से (3) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 2— शर्त क्रमांक B(4) के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा अतिरिक्त एन0पी0व्ही0 का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।
- 3— शर्त क्रमांक B (5) से (9) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।
- 4— शर्त क्रमांक B (10) के पालन में आवेदक संस्थान ने लेख किया है कि उपरोक्त मार्ग मुख्य जिला मार्ग (MDR) है, जिसमें Central verge नहीं होता है। मार्ग निर्माण के पश्चात वन विभाग के निर्देशानुसार शासकीय भूमि, पंचायत भवन, स्कूल, छात्रावास एवं स्वास्थ्य केन्द्र आदि में वृक्षारोपण कार्य कराया जावेगा।
- 3- शर्त क्रमांक B (11) से (19) के पालन में आवेदक संस्थान सहमत है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रथम चरण सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन पूर्ण हो गया है। कृपया प्रकरण की अंतिम औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


्रिप्। ६/फ्रा (सुनील अग्रवाल)

पृ. क्रमांक / एफ-5 / 1076 / 2021 / 10-11 / **2086** प्रतिलिपि:- भोपाल, दिनांक 14/06/2022

- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
- 2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
- 3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, संभाग इन्दौर—2, सिल्वर हिल्स कॉलोनी, महाराणाप्रताप स्टैच्यू के सामने, धार, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल

416/202



MADHYA PRADESH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LTD.

(Govt. of M.P. Undertaking) CIN: U45203MP2004SGC016758

Darbar Singh Gohel, Silver Hills Colony, Opp, Maharana Pratap Statue Indore Road, Dhar (M.P.) 454001 Tel. 07292-297062 Email : dmindore2@gmail.com

पत्र क्र. 650

/ एम.पी.आर.डी.सी /धार / ए.डी.बी / 2020,

धार, दिनांक 🤭 / 06 / 2022

प्रति.

वनमंडलाधिकारी सामान्य, वनमंडल धार (म.प्र.)

विषय—अलीराजपुर जिले में एडीबी—6 योजनांतर्गत भाभरा—कठ्ठीवाड़ा—खेड़ा मार्ग के निर्माण हेतु 18.501 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 18.33 हेक्टेयर) मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-

1. वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल अलीराजपुर का पत्र क्र. मा.चि. / 2022 / 1437, अलीराजपुर दिनांक 02 / 06 / 2022

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्र.

6-MPC065/2021-BHO दिनांक 28 / 05 / 2022

3. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू—प्रबंध) भोपाल का पत्र क्र. एफ—5/1076/2021/10—11/1904, दिनांक 30/05/2022 एवं पत्र क्र. 194, दिनांक 01/06/2022

उपरोक्त विषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्रों के तारतम्य में लेख है कि म.प्र. सड़क विकास निगम के अंतर्गत, अलीराजपुर जिले में शासन की एडीबी—6 परियोजना अंतर्गत भाभरा—कठ्ठीवाड़ा—खेड़ामार्ग के निर्माण हेतु 18.501 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 18.33 हेक्टेयर) के व्यपवर्तन का ऑनलाईन प्रस्ताव लगाया गया था। जिसमें में संदर्भित पत्र क्र. 1 के द्वारा सैद्वांतिक स्वीकृति जारी की गई है। जिसमें अधीरोपित शर्तों का विवरण एवं पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार है :—

क्र	शर्तों का विवरण	परिपालन की स्थिति
A	Conditions which need to be complied	prior with handing over of forest
	land by the State Forest Department.	
1.	The cost of compensatory afforestation on the CA land (20.80 ha Non Forest Land) at the prevailing wages rates as per compensatory afforestation scheme (including the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars etc. as required for securing the land against encroachment) shall be deposited in advance with the State Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रकरण में वन विभाग द्वारा मांग की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि रू. 1,01,90,950 / — कैम्पा मद में जमा कर दी गई है। जिसका UTR No. HDFCR52022060673526855 है।
2.	Non –forest land shall be transferred and mutated in favour of State Forest department and documents shall be submitted.	वन विभाग के पक्ष में किये गये नामांतरण का अभिलेख संलग्न है।

3.	The non-forest land which is transferred and mutated in favour of State Forest department	वन विभाग से संबंधित है।
	for the purpose of compensatory	
	afforestation shall be declared as Reserved	
	Forest or Protected Forest under the Indian	
	Forest Act. 1927 or under the relevant	
	Section(s) of the State Forest Act. Copy of	
	notification shall be sent in Stage-1	
	compliance report.	
4.	The State Government shall charge the Net	प्रकरण में वन विभाग द्वारा मांग की गई
i.	Present Value (NPV) for the 18.501 ha	NPV की राशि रू. 2,27,30,144/-
	forest area to be diverted under this proposal	कैम्पा मद में जमा कर दी गई है।
	from the User Agency as per the order of the	जिसका UTR No.
	Hon'ble Supreme Court of India dated	HDFCR52022060673526855 官 l
	30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008,	HDFCR5202206067532063361
	24.04.2008 and 09.05.2008 in IA No. 566 in	
	WP (C) No.202/1995 and as per the	*
	guidelines issued by the Ministry vide letters	
	No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003,	
	as well as letter No. 5-2/2006- FC dated	
	03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated	
	05.02.2009, 5-3-2011-FC(Vol-I) dated	
Had.	06.01.2022.	वन विभाग से संबंधित है।
5.	The State Govt. shall be charged NPV as per	वन विभाग स सबाधत है।
	MoEF&CC, new Delhi guideline No. 5-	
	3/2011-FC(Vol-I) dated 06/01/2022	
6.	All the funds received from the user agency	शर्त मान्य है।
	under the project shall be transferred	
	/deposited to CAMPA fund only through e-	
	portal (https://parivesh.nic.in)	
7.	The complete compliance of the FRA, 2006	प्रस्ताव के साथ एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र
	shall be ensured by way of prescribed	लगाया गया है। (प्रति संलग्न)
	certificate from the concerned District	
	Collector.	
8.	The KML files of diverted area and CA	वन विभाग से संबंधित है।
0.	areas shall be uploaded on the e-Green	
	watch portal with all requisite details prior to	
	Stage-II approval.	
0	The error in the forest boundary shall be	वन विभाग से संबंधित है।
9.	rectified in the data of FSI	
1.0		इस संबंध में यह अनुरोध है कि इस
10.	Plantation shall be carried out along the	मार्ग के दोनों ओर वनक्षेत्र में पूर्व से
	roadside, as per the availability of space.	नाग पर पाना जार पनवार न तूप रा
	270	ही वृक्ष विद्यमान है। अतः वृक्षारोपण
	0 1	हेतु स्थल उपलब्ध न होने के कारण

The second		यह कार्यवाही करना संभव प्रतीत नही
		होता हे।
11.	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as	प्रकरण में उल्लंघन की स्थिति नही है।
	prescribed in para 1.21 of Chapter I of the	
	Handbook of Comprehensive Guidelines of	
	Forest (Conservation) Act, 1980 as issued by	
	this Ministry's letter No. 5-2/2017-FC dated	
	28.03.2019	शर्त मान्य है।
12.	The compliance report shall be uploaded on	शत मान्य ह।
В	e-portal (https://parivesh.nic.in) Conditions which need to be strictly co	mplied on field after handing over
Б	the forest land to the User Agency by the	e State Forest Department but the
	compliance in form of undertaking sh	all be submitted prior to Stage-II
	approval.	
(1)	Legal status of the forest land shall remain	शर्त मान्य है।
	unchanged.	
(2)	Compensatory afforestation shall be taken	
	up the Forest Department over 20.800 ha	
	non-forest land at Khasra No. 2057, village	वन विभाग से संबंधित है।
	-BadaKhutaja, Tehsil -Chandrasekhar Nagar, District Alirajpur at the cost of the	वर्ग विभाग स सवावस छ।
	user agency. As far as possible, a mixture of	
	local native species shall be planted.	
(3)	As far as possible, a mixture of local native	वन विभाग से संबंधित है।
	species shall be planted under CA.	
(4)	Additional amount of the NPV of the	शर्त मान्य एवं वचन पत्र संलग्न है।
	diverted forest land, if any, becoming due	
	after finalization of the same by the Hon'ble	
	Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee. shall be	
	charged by the State Government from the	
	User Agency. The User Agency shall furnish	· ·
	an undertaking to this effect.	
(5)	User Agency shall restrict the felling of trees	शर्त मान्य है।
	to 1662 numbers minimum number in the	
1	diverted forest land and the trees shall be	l .
	felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of	
	felling of trees shall be deposited by the	
	User Agency with the State Forest	
	Department.	
(6)	The boundary of the diverted forest land	शर्त मान्य है।

	shall be suitably demarcated on ground at the project cost.	
(7)	The layout plan of the proposal shall not be	शर्त मान्य है।
(7)	changed without prior approval of Central Government.	
(8)	No labour camp shall be established on the forest land.	शर्त मान्य है।
(9)	The User Agency shall provide alternate fuels preferably LPG to the labourers and the staff working at the site so as to avoid any damage and pressure on the nearby	शर्त मान्य है।
	forest area.	
(10)	User Agency shall raise strip plantation on both sides and central verge of the road as per the IRC norms.	(MDR) है, जिसमें Central Verge नहीं होता है। मार्ग निर्माण के पश्चात वन विभाग के निर्देशानुसार शासकीय भूमि, पंचायत भवन, स्कूल, छात्रावास एवं स्वास्थ्य केन्द्र आदि में वृक्षारोपण कार्य कराया जावेगा।
(11)	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the protected Areas /Forest Areas.	शर्त मान्य है।
(12)	The User Agency shall provide suitable under /over pass in Protected Area /Forest Area as per recommendation of CWLW/NBWL/FAC/REC, if any.	
(13)	No additional or new path will be constructed inside the forest area for	शर्त मान्य है।
	transportation of construction materials for execution of the project work.	
(14)	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of the project life.	शर्त मान्य है।
(15)	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.	
(16)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	
(17)	The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of all the Acts, Rules, Regulation, Guidelines, Hon'ble Court Order(s) and National Green	

	Tribunal Order(s) pertaining to this project, if any, for the time in force, as applicable to the project.	
(18)	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department, or person without prior approval of Central Government.	शर्त मान्य है।
(19)	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation. protection and development of forests & wildlife.	शर्त मान्य है। वचन पत्र संलग्न है।

उपरोक्त समस्त शर्तों का पालन कर दिया गया है। कृपया प्रकरण में औपचारिक स्वीकृति एवं कार्य करने की अनुमति देने का कष्ट करें।

सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार ।

(श्याम कुमार गुप्ता) संभागीय प्रबंधक म.प्र.सडक विकास निगम धार (म.प्र.) धार, दिनांक 09 / 06 / 2022

पृ० त्र क्र. 65.1 / एम.पी.आर.डी.सी / धार / ए.डी.बी / 2020,

प्रतिलिपिः

1. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू—प्रबंध) सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित। 2. मुख्य अभियंता (ए.डी.बी. —6/7) म.प्र.सड़क विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

3. पर्यावरण सुरक्षा विशेषज्ञ,म.प्र.संडक विकास निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) मध्यप्रदेश, भोपाल